

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1245

जिसका उत्तर 27 जुलाई, 2023 को दिया गया

जल विद्युत परियोजनाएं

1245. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर प्रतिबंध से जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित नहीं होती हैं;
- (ख) क्या सरकार का विचार जल संवाहक प्रणालियों और पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (पीएसपी) के प्रारंभिक चरणों में संबद्ध खनन और उत्खनन के लिए छूट प्रदान करने का है ताकि जल संवाहक प्रणालियों और भूमिगत विद्युत गृहों के निर्माण को सक्षम बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार अधिसूचना में एक नया खंड शामिल करने का है जिसके अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं और पीएसपी से संबद्ध पारेषण लाइनों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपीज़) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययनों के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) दिए जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू करती हैं। ईआईए अध्ययनों के दौरान, आस-पास की सीमांकित/नामित खदानों की उपलब्धता सहित सभी पारिस्थितिक पहलुओं की ठीक से जांच की जाती है। सीमांकित/नामित खदानों के साथ अनुमोदित एचईपीयों का निर्माण कार्य तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक इन खदानों पर आगामी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, जिससे परियोजना में विलंब हो सकता है और इसकी व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है।

(ख) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, उनके मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) : पारेषण लाइन को बिछाने पर ईआईए अधिसूचना, 2006, संशोधित किए गए अनुसार, के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इसलिए जल-विद्युत परियोजना (एचईपी)/पम्पड स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) की पारेषण लाइन बिछाने के लिए किसी पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तथापि, इसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन मंजूरी (एफसी) की आवश्यकता है।
